रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1999/फाल्गुन 6, 1920
No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1999/PHALGUNA 6, 1920

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

**संख्या ओ-19018/22/95-ओ एन जी-डी ओ-6.**—भारत सरकार तेल क्षेत्र में निजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए निजी कंपनियों को समय समय पर अन्वेषण ब्लाक प्रस्तावित करती रही थी। अब तक अन्वेषण बोली के नौ दौर हो चुके हैं और भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण की संविदाएं की हैं। पेट्रोलियम की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है और भण्डार वृद्धि की गति को तेज करने के लिए अन्वेषण में निवेश का स्तर बढ़ाना आवश्यक है जो घरेलू उत्पादन के उच्चतर स्तरों के लिए आधार प्रस्तुत करेगा।

इस कमी के मुकाबले और तेल तथा गैस क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करने के लिए भारत सरकार की उदारीकृत नीति के अनुसार भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) तैयार की है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) ओ एन जी सी/ओ आई एल के माध्यम से सरकार की कोई अनिवार्य प्रतिभागिता नहीं होगी और न ही सरकार का कोई ''कैरिड'' हित होगा।

(2) ओ एन जी सी और ओ आई एल को नामांकन आधार पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली की बजाए उन्हें पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। इसी के साथ साथ ओ एन जी सी और ओ आई एल को भी वही वित्तीय और संविदात्मक निबंधन प्राप्त होंगे, जो निजी कंपनियों को उपलब्ध होंगे।

(3) तेल कंपनियों को सतत रूप से अवसर प्रदान करने के लिए अन्वेषण रकबों की मुक्त उपलब्धता/रकबों का सीमांकन ग्रिड प्रणाली पर किया जाएगा और ग्रिड के तैयार किए जाने तक ब्लाक प्रस्ताव के लिए काटे जाएंगे।

(4) संविदाकारों को घरेलू बाजार में कच्चे तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्रता।

(5) तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान। अपतटीय क्षेत्र से रायल्टी का आधा हिस्सा अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए हाइड्रोकार्बन विकास निधि में जमा किया जाएगा। इन क्रियाकलापों में कम अन्वेषित बेसिनों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों का अर्जन, अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश अवसरों, संस्था भवन निर्माण आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

(6) गहरे जल क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत के बाद 7 वर्षों के लिए 400 मीटर बाथीमीटरी से अधिक के अपतटीय गहरे क्षेत्रों के लिए प्रचलित दर की आधी रायल्टी वसूल की जाएगी।

(7) पहले क्रूड उत्पादन पर लगाया गया उपकर एन ई एल पी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लाकों के लिए समाप्त कर दिया गया है।

(8) पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क के भुगतान से कंपनियों को छूट दी जाएगी।

(9) कोई हस्ताक्षर, खोज और उत्पादन बोनस नहीं होंगे।

(10) वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने की तारीख से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सात वर्षीय कर छूट उपलब्ध रहेगी।

(11) ठेकेदार को ठेकों की संपूर्ण अवधि के दौरान राजकोषीय स्थिरता उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) एक पृथक पेट्रोलियम कर मार्गदर्शिका निवेशकों की सुविधा के लिए है।

(13) पहले की व्यवस्था जिसमें अन्वेषण लागत संविदा क्षेत्र आधार पर और विकास एवं उत्पादन लागू क्षेत्रवार आधार पर वसूल किए जाने की अनुमति थी, के विपरीत ठेकेदार को संविदा क्षेत्र आधार पर असीमित अग्रेनित अवधि सहित पूर्ण लागत वसूली (अर्थात् अन्वेषण लागत, विकास लागत और उत्पादन लागत) की अनुमति होगी।

(14) ओ एन जी सी/ओ आई एल सहित कंपनियों को एन ई एल पी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लाकों में की गई तेल की खोजों के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान किया जाएगा।

(15) वर्तमान में करोपरांत हिस्सेदारी की अपेक्षा निवेश गुणज पर आधारित लाभ तेल की कर पूर्व हिस्सेदारी हासिल की गई।

(16) एक संशोधित आदर्श संविदा तैयार की गई है।

(17) अपतटीय क्षेत्रों के लिए सीधे नई अन्वेषण लाइसेंस नीति क्रियान्वित की जानी है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार से कोई परामर्श अपेक्षित नहीं है। तथापि, जमीनी क्षेत्रों के संबंध में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् क्रियान्वित की जाएगी।

(18) उपर्युक्त प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई करना।

(19) सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस), वित्त सचिव तथा विधि सचिव को लेकर तैयार हुई सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति, अन्य बातों के साथ-साथ बोली मूल्यांकन मानदंड के संबंध में विचार करेगी, जहां कहीं आवश्यक होगा, बोलीदाताओं के साथ वार्तायें करेगी तथा ब्लाकों को देने के विषय में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशें करेगी।

(20) यह व्यवस्था केवल नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं के प्रति लागू होगी।

यहां विनिहित निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे और यह अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभाग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS
## RESOLUTION

New Delhi, the 10th February, 1999

**No. O-19018/22/95-ONG.DO. VI.**—In order to attract private investment in oil sector Government of India had been offering exploration blocks to private companies from time to time. There have been so far nine rounds of exploration bidding and Government of India has entered into contracts for exploration by private companies through Joint venture arrangements. The demand for petroleum is expected to rise rapidly and it is necessary to step up the level of investment in exploration to hasten the pace of reserve accretion, which can serve as a base for higher levels of domestic production.

Against this back drop and in keeping with the liberalised policy of Government of India for attracting Private investments in the oil and gas sector, Government of India has formulated the New Exploration Licensing Policy (NELP). The details of NELP are given below:-

(i) There will be no mandatory state participation through ONGC/OIL nor will there be any carried interest of the State.

(ii) ONGC and OIL to compete for obtaining the petroleum exploration licenses on competitive basis instead of the existing system of granting them PELs on nomination basis. At the same time, ONGC and OIL will also get same fiscal and contract terms as available to private companies.

(iii) Open availability of exploration acreages to provide a continuous window of opportunities to oil companies. The acreages will be demarcated on a grid system and pending preparation of the grid, blocks will be carved out for offer.

(iv) Freedom to the contractors for marketing of crude oil and gas in the domestic market.

(v) Royalty payments on crude oil at the rate of 12.5% for the onland areas and 10% for offshore areas. Royalty on natural gas will be 10%. Half of the royalty from the offshore area will be credited to a hydrocarbon development fund to promote and fund exploration related activities, such as acquisition of geological data on poorly explored basins, promotion of investment opportunities in the upstream sector, institution building etc.

(vi) To encourage exploration in deep water and frontier areas, royalty will be charged at half the prevailing rate for offshore deep water areas beyond 400 m bathymetry for first 7 years after commencement of commercial production.

(vii) Cess, which was earlier levied on crude production has been abolished for the blocks offered under NELP.

(viii) Companies will be exempted from payments of import duty on the goods imported for petroleum operations.

(ix) There will be no signature, discovery and production bonuses.

(x) A seven year tax holiday from the date of commentment of commercial production available.

(xi) Contractor will be provided fiscal stability during the entire period of contracts.

(xii) A separate petroleum tax guide is in place to facilitate investors.

(xiii) Contractor will be allowed full cost recovery (i.e..exploration cost, development cost and production cost) with unlimited carry forward period on contract area basis unlike the previous regime, where exploration cost was allowed to be recovered on contract area basis and development and production cost on field-wise basis.

(xiv) Companies, including ONGC/OIL to be paid international price for oil discoveries made in the blocks offered under NELP.

(xv) Pre-tax sharing of profit oil based on investment multiple achieved rather than post-tax sharing as at present.

(xvi) A revised model contract has been prepared.

(xvii) The NELP to be implemented straight away for the offshore areas as for this no consultation is required with the State Government. However, for the onland areas, the NELP will be implemented after obtaining the concurrence of the concerned State Government.

(xviii) To process for effecting the necessary changes in the relevant Acts and Rules to implement the above proposals.

(xix) An Empowered Committee of Secretaries comprising Secretary (PNG), Finance Secretary and Law Secretary will inter-alia, consider bid evaluation criteria, conduct negotiations with bidders, whereever necessary and make recommendations to the CCEA on award of blocks.

(xx) This regime will apply only against contracts signed under NELP.

The decisions herein contained will come into force with immediate effect and will remain in force until further orders.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Terriroty Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministeries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

568GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-I, SECTION-I

NO.O-19018/12/95-ONG.DO.VI
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
**********

New Delhi, dated the 10th February, 1999

## RESOLUTION

In order to attract private investment in oil sector Government of India had been offering exploration blocks to private companies from time to time. There have been so far nine rounds of exploration bidding and Government of India has entered into contracts for exploration by private companies through Joint venture arrangements. The demand for pertroleum is expected to rise rapidly and it is necessary to step up the level of investment in exploration to hasten the pace of reserve accretion, which can serve as a base for higher levels of domestic production.

Against this back drop and in keeping with the liberalised policy of Government of India for attracting Private investments in the oil and gas sector, Government of India has formulated the New Exploration Licensing Policy (NELP). The details of NELP are given below:-

(i) There will be no mandatory state participation through ONGC/OIL nor will there be any carried interest of the State.

(ii) ONGC and OIL to compete for obtaining the petroleum exploration licenses on competitive basis instead of the existing system of granting them PELs on nomination basis. At the same time, ONGC and OIL will also get same fiscal and contract terms as available to private companies.

(iii) Open availability of exploration acreages to provide a continuous window of opportunities to oil companies. The acreages will be demarcated on a grid system and pending preparation of the grid, blocks will be carved out for offer.

(iv) Freedom to the contractors for marketing of crude oil and gas in the domestic market.

( v) Royalty payments on crude oil at the rate of 12.5% for the onland areas and 10% for offshore areas. Royalty on natural gas will be 10% . Half of the royalty from the offshore area will be credited to a hydrocarbon development fund to promote and fund exploration related activities, such as acquisition of geological data on poorly explored basins, promotion of investment opportunities in the upstream sector, institution building etc.

(vi) To encourage exploration in deep water and frontier areas, royalty will be charged at half the prevailing rate for offshore deep water areas beyond 400 m bathymetry for first 7 years after commencement of commercial production.

(vii) Cess, which was earlier levied on crude production has been abolished for the blocks offered under NELP.

(viii) Companies will be exempted from payments of import duty on the goods imported for petroleum operations.

(ix) There will be no signature, discovery and production bonuses.

(x) A seven year tax holiday from the date of commentment of commercial production available.

(xi) Contractor will be provided fiscal stability during the entire period of contracts.

(xii) A separate petroleum tax guide is in place to facilitate investors.

(xiii) Contractor will be allowed full cost recovery (i.e..exploration cost, development cost and production cost) with unlimited carry forward period on contract area basis unlike the previous regime, where exploration cost was allowed to be recovered on contract area basis and development and production cost on field-wise basis.

(xiv) Companies, including ONGC/OIL to be paid international price for oil discoveries made in the blocks offered under NELP.

(xv) Pre-tax sharing of profit oil based on investment multiple achieved rather than post-tax sharing as at present.

(xvi) A revised model contract has been prepared.

(xvii) The NELP to be implemented straight away for the offshore areas as for this no consultation is required with the State Government. However, for the onland areas, the NELP will be implemented after obtaining the concurrence of the concerned State Goverument.

(xviii) To process for effecting the necessary changes in the relevant Acts and Rules to implement the above proposals.

(xix) An Empowered Committee of Secretaries comprising Secretary (PNG), Finance Secretary and Law Secretary will inter-alia, consider bid evaluation criteria, conduct negotiations with bidders, whereever necessary and make recommendations to the CCEA on award of blocks.

(xx) This regime will apply only against contracts signed under NELP.

The decisions herein contained will come into force with immediate effect and will remain in force until further orders.

( SHIVRAJ SINGH )
JOINT SECRETARY

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Terriroty Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministeries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

( SHIVRAJ SINGH )
JOINT SECRETARY

To,

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad.

(96)

§भारत के §असाधारण§ राजपत्र के भाग । खण्ड । में प्रकाशनार्थ§

संख्या ओ-19018/22/95-ओ एन जी-डी ओ-6

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

------

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 1999

संकल्प

-----

भारत सरकार तेल क्षेत्र में निजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए निजी कंपनियों को समय समय पर अन्वेषण ब्लाक प्रस्तावित करता रहा था। अब तक अन्वेषण बोली के नौ दौर हो चुके है और भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण की संविदाएं की है। पेट्रोलियम की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है और भण्डार वृद्धि की गति को तेज करने के लिए अन्वेषण में निवेश का स्तर बढ़ाना आवश्यक है जो घरेलू उत्पादन के उच्चतर स्तरों के लिए आधार प्रस्तुत करेगा।

इस कमी के मुकाबले और तेल तथा गैस क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करने के लिए भारत सरकार की उदारीकृत नीति के अनुसार भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति §एन ई एल पी§ तैयार की है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

§1§ ओ एन जी सी/ओ आई एल के माध्यम से सरकार की कोई अनिवार्य प्रतिभागिता नहीं होगी और न ही सरकार का कोई "कैरिड" हित होगा।

§2§ ओ एन जी सी और ओ आई एल को नामांकन आधार पर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली की बजाए उन्हें पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसी के साथ साथ ओ एन जी सी और ओ आई एल को भी वही वित्तीय और संविदात्मक निबंधन प्राप्त होंगे, जो निजी कंपनियों को उपलब्ध होंगे।

§3§ तेल कंपनियों को सतत रूप से अवसर प्रदान करने के लिए अन्वेषण रकबों की मुक्त उपलब्धता/रकबों का सीमांकन ग्रिड प्रणाली पर किया जाएगा और ग्रिड के तैयार किए जाने तक ब्लाक प्रस्ताव के लिए काटे जाएंगे।

§4§ संविदाकारों को परेलू बाजार में कच्चे तेल और गैस के विपणन की स्वतंत्र

§5§ तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत और अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान। अपतटीय क्षेत्र से रायल्टी का आधा हिस्सा अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए हाइड्रोकार्बन विकास निधि में जमा किया जाएगा। इन क्रियाकलापों में कम अन्वेषित बेसिनों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों का अर्जन, अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश अवसरों, संस्था भवन निर्माण आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

§6§ गहरे जल क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए आरम्भ में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद 7 वर्षों के लिए 400 मीटर वाटरमीटरी से अधिक के अपतटीय गहरे क्षेत्रों के लिए प्रचलित दर की आधी रायल्टी वसूल की जाएगी।

§7§ पहले क्रूड उत्पादन पर लगाया गया उपकर एन ई एल पी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लाकों के लिए समाप्त कर दिया गया है।

§8§ पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क के भुगतान से कंपनियों को छूट दी जाएगी।

§9§ कोई हस्ताक्षर, बोनस और उत्पादन बोनस नहीं होंगे।

§10§ वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ होने की तारीख से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सात वर्षीय कर छूट उपलब्ध रहेगी।

§11§ ठेकेदार को ठेके की संपूर्ण अवधि के दौरान राजकोषीय स्थिरता उपलब्ध कराई जाएगी।

मार्गदर्शिका

§12§ एक पृथक पेट्रोलियम कर निवेशकों की सुविधा के लिए है।

§13§ पहले की व्यवस्था जिसमें अन्वेषण लागत संविदा क्षेत्र आधार पर और विकास एवं उत्पादन लागू क्षेत्रवार आधार पर वसूल किए जाने की अनुमति थी, के विपरीत ठेकेदार को गोवदा क्षेत्र आधार पर असीमित अप्रोनत अवधि सहित पूर्ण लागत वसूली §अर्थात अन्वेषण लागत, विकास लागत और उत्पादन लागत§ की अनुमति होगी।

§14§ ओ एन जी सी/ओ आई एल सहित कंपनियो को एन ई एल पी के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लाको मे की गई तेल की खोजो के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर भुगतान किया जाएगा।

§15§ वर्तमान मे करोपरांत हिस्सेदारी की अपेक्षा निवेश गुणज पर आधारित लाभ तेल का कर पूर्व हिस्सेदारी हासिल की गई।

§16§ एक संशोधित आदर्श संविदा तैयार की गई है।

§17§ अपतटीय क्षेत्रो के लिए सीधे नई अन्वेषण लाइसेंस नीति क्रियान्वित की जानी है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार से कोई परामर्श अपेक्षित नही है। तथापि, जमीनी क्षेत्रो के संबंध मे नई अन्वेषण लाइसेंस नीति/संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात क्रियान्वित की जाएगी।

§18§ उपर्युक्त प्रस्तावो को क्रियान्वित करने के लिए प्रासंगिक अधिनियमो एवं नियमो मे आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई करना।

§19§ सचिव §पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस§, वित्त सचिव तथा विधि सचिव को लेकर तैयार हुई सचिवो की शक्तिप्रदत्त समिति, अन्य बातो के साथ साथ बोली मूल्यांकन मानदंड के संबंध मे विचार करेगी, जहां कहीं आवश्यक होगा, बोलीदाताओं के साथ वार्ताये करेगी तथा ब्लाको को देने के विषय मे आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को सिफारिशे करेगी।

§20§ यह व्यवस्था केवल नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं के प्रति लागू होगी।

यहाँ विनिर्दिष्ट निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे और यह अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

(शिवराज सिंह) 10/2
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

## आदेश

-----

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभाग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(शिवराज सिंह) 10/2
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद

------